भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 177

दिनांक 06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नाइट्रोजन कंपाउंड का स्वास्थ्य पर प्रभाव

***177. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवा में नाइट्रोजन कंपाउंड की उपस्थिति से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे सामान्यतः श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचता है और परिसंचरण और प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 06.12.2024 के उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा दिल्ली में 5 स्थलों पर किए गए बहुस्थलीय अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, एनओ$_2$ जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स के स्तरों में वृद्धि से व्हीजिंग और आपात चिकित्सा हेतु अस्पताल जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने वायु प्रदूषण के संबंध में हेल्थ एडवॉयजरी जारी की है और वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनका ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(घ) और (ड.) जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमताओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्पशन (पीएसए) संयंत्र स्थापित किए गए थे। भारत सरकार ने, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा स्थापित पीएसए संयंत्रों के अलावा, देश के अधिकांश जिलों में कम से कम एक (1) पीएसए संयंत्र स्थापित किया है। देश भर में संस्थापित पीएसए संयंत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

******

अनुलग्नक-1

भारत सरकार ने देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

- टीपीपी उत्सर्जन के नियंत्रण के उपाय:
  - **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने का. आ. 3305(अ), दिनांक 07.12.2015, सा. का. नि. 243 (अ) दिनांक 31.03.2021 और सा. का. नि. 682 (अ) दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से थर्मल पावर प्लांटों (टीपीपी) से एसओ2, एनओएक्स और पारे के उत्सर्जन संबंधी नए मानदंड बनाने के उद्देश्य से टीपीपी के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। इसमें टीपीपी द्वारा विशिष्ट जल खपत के संबंध में संशोधित सीमाएं भी विनिर्दिष्ट की गई हैं और मौजूदा सीमाओं को बेस्ड कंडेनसर कूलिंग सिस्टम के जरिए रीसर्कुलेशन से परिवर्तित करने पर जोर दिया गया है। बिजली संयंत्र की क्षमता और स्थापना के वर्ष के आधार पर विभिन्न सीमाएं विनिर्दिष्ट की जाती हैं। थर्मल पावर प्लांट्स के उत्सर्जन मानदंडों को वर्ष 2017 की कार्यान्वयन समय-सीमा के साथ अधिसूचित किया गया था, जिन्हें आगे विस्तारित किया गया था। अनुपालन के लिए वर्तमान समयसीमा का ब्यौरा नियमानुसार है:-**

क्रम सं.	श्रेणी	स्थान/क्षेत्र	अनुपालन के लिए समय-सीमा (नॉन-रिटायरिंग यूनिटस)	अनुपालन से छूट दी जाने वाली इकाइयों की रिटायरमेंट की अंतिम तारीख
1.	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर	31.12.2024 तक	31.12.2027 तक
2.	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या 10	31.12.202	

		किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र या वायु गुणवत्ता मानकों की अनुपालना न करने वाले क्षेत्र	5 तक	
3.	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर	31.12.2026 तक	

- **वाहनीय उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय:**
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य शहरों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से बीएस-VI ईंधन मानकों का कार्यान्वयन शुरू किया गया था।
  - बीएस-IV से बीएस-VI ईंधन मानकों के कार्यान्वयन से एनओएक्स उत्सर्जनों में 25-87% की कमी देखी गई है।
  - एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रतिमाह >100 किलोलीटर गैसोलीन की बिक्री करने वाले और 1 लाख से दस लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहरों में प्रतिमाह >300 किलोलीटर की बिक्री करने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों वाहनों में वेपर रिकवरी सिस्टम संस्थापित किए गए हैं ताकि व्हीकलर रिफयूलिंग उर्त्सजनों को नियंत्रित किया जा सके।
  - भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024) योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - संपीडित बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने तथा ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग हेतु बाजार में सीबीजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रियायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) की शुरूआत की गई है।
  - वर्ष 2019 से, देश में जलवायु संवेदी स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्र की तैयारी और अनुक्रिया तथा साझेदारी संबंधी कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) का कार्यान्वयन।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया है।

अनुलग्नक-2

क्रम . सं .	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित पीएसए संयंत्रों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
2.	आंध्र प्रदेश	34
3.	अरुणाचल प्रदेश	31
4.	असम	54
5.	बिहार	79
6.	चंडीगढ़	4
7.	छत्तीसगढ़	58
8.	दिल्ली	43
9.	दादरा और नागर हवेली + दमन और दीव	4
10.	गोवा	7
11.	गुजरात	72
12.	हरियाणा	46
13.	हिमाचल प्रदेश	30
14.	जम्मू और कश्मीर	32
15.	झारखंड	53
16.	कर्नाटक	92
17.	केरल	35
18.	लद्दाख	12
19.	लक्षद्वीप	2
20.	मध्य प्रदेश	116

21.	महाराष्ट्र	87
22.	मणिपुर	17
23.	मेघालय	15
24.	मिजोरम	15
25.	नागालैंड	17
26.	ओडिशा	53
27.	पुदुचेरी	8
28.	पंजाब	45
29.	राजस्थान	75
30.	सिक्किम	5
31.	तमिलनाडु	86
32.	तेलंगाना	54
33.	त्रिपुरा	14
34.	उत्तर प्रदेश	169
35.	उत्तराखंड	29
36.	पश्चिम बंगाल	63
37.	अन्य एजेंसियां (डीआरडीओ, आईआरसीएस)	2